

2: 91-542-26702069

FAX: 91-542-2367780, 2368428;

e-mail: registrar@itbhu.ac.in

Office of the Registrar (Accounts Section)

कुलसचिव कार्यालय (लेखा अनुभाग)

पत्रांक: भा. प्रौ. सं. (का. हि. वि.)/से. पु. एवं नि./2022-23/35/

दिनांक: 27.10.2022

समस्त पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (काशी हिन्दू विश्वविद्यालय)

विषय: जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के संदर्भ में।

महोदय/महोदया, पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी

कृपया जीवन प्रमाण पत्र एवं आश्रित परिवार सदस्यों के पुनर्विवाह प्रमाणपत्र का प्रारूप इस अनुदेश के साथ संलग्न है कि उपरोक्त प्रमाणपत्रों को संस्थान के पेंशन अनुभाग में जमा करने का कष्ट करें।

इस संबंध में, आपका ध्यान इस तथ्य की ओर आकृष्ट किया जाता है कि पेंशन/पारिवारिक पेंशन के निरंतर भुगतान हेतु संस्थान के प्रत्येक पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी को वर्ष में एक बार नवम्बर माह में जीवन प्रमाणपत्र जमा करना अपेक्षित है, ऐसा न करने पर, पेंशन/पारिवारिक पेंशन का भुगतान निलंबित/रोक दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, पारिवारिक पेंशन के विधवा/विधुर प्राप्तकर्ता के लिए पुनर्विवाह प्रमाणपत्र जमा किया जाना आवश्यक है। यह विधवा के मामले में एक बार और विधुर के मामले में प्रत्येक छह माह में एक बार मई व नवम्बर में प्रस्तुत किया जाना है।

अतः यह अनुरोध किया जाता है कि पेंशन/पारिवारिक पेंशन के निरंतर भुगतान हेतु अपेक्षित प्रमाणपत्र/प्रमाणपत्रों को 30 नवम्बर, 2022 तक या पहले पेंशन अनुभाग, भा.प्रौ.सं. (का.हि.वि.) में जमा करने का कष्ट करें।

संलग्नः यथोक्त

भवदीय

संयुक्त कुलसचिव



2: 91-542-26702069

FAX: 91-542-2367780, 2368428;

e-mail: registrar@itbhu.ac.in

Office of the Registrar (Accounts Section)

Ref. No.: IIT(BHU)/SB & Pension/2022-23/35/

कुलसचिव कार्यालय (लेखा अनुभाग)

Date: 27.10.2022

All Pensioners/Family Pensioners Indian Institute of Technology (Banaras Hindu University)

Subject: Submission of Life Certificate -regarding.

Dear Pensioner/Family Pensioner,

Enclosed, please find the format of Life Certificate and Certificate of Re-marriage of dependent family members along with the instructions regarding submission of the same to the Pension Section of the Institute.

In this connection, your attention is drawn towards the fact that for continuation of payment of pension/family pension, every pensioner / family pensioner of the Institute is required to submit life certificate once a year in month of November, failing which, the payment of pension/family pension may be suspended/stopped. Further, for widow/widower recipient of family pension, certificate of re-marriage is required to be furnished once in case of widow and once every six months in May and November in case of widower.

Therefore, it is requested to furnish the requisite certificate/certificates on or before 30th November, 2022 for continuation of payment of pension/family pension.

Encl: As above.

Yours faithfully,

Jt. Registrar (A/cs.)

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (काशी हिन्दू विश्वविद्यालय), वाराणसी

जीवन प्रमाण-पत्र

(संस्थान के पेंशनभोगी / पारिवारिक पेंशनभोगी द्वारा वर्ष	में एक बार नवम्बर माह में प्रस्तुत करने हेतु)
प्रमाणित किया जाता है कि पेंशन अदायगी आदेश र धारक पेंशन भोगी / पारिवारिक पेंशनभोगी डॉ / मैंने देखा है और वह इस दिनांक को जीवित हैं।	संख्या भा.प्रौ.सं.(का.हि.वि.) / का.हि.वि. / आर / एफ १ श्री / श्रीमती / कुको
पेंशनभोगी / पारिवारिक पेंशनभोगी का हस्ताक्षर / अंगूठा निशा स्थान : दिनांक :	ान
पता (निवास) : मोबाईल सं. (यदि कोई) : ईमेल (यदि कोई) :	हस्ताक्षर, दिनांक एवं मोहर सहित (प्राधिकृत अधिकारी द्वारा) नाम
	पद
पुनर्विवाह प्रमा मैं एतद् द्वारा यह घोषणा करता / करती हूँ कि मैंने	पुनर्विवाह नहीं किया है, और यदि मैं करता / करती
हूँ, तो मैं यह उत्तरदायित्व लेता/लेती हूँ कि मैं यह सूच दूंगा/दूंगी। (केवल विधुर/विधवा पारिवारिक पेंशनभोगी के लिए लागू विधुर पेंशनभोगी के लिए छः माह में एक बार	और विधवा पेंशनभोगी के लिए केवल एक बार एवं
विधुर / विधवा पारिवारिक पेंशनभोगी का हस्ताक्षर / अंगूठा नि पे.अ.आ.सं.: आई.आई.टी.(बी.एच.यू.) / बी.एच.यू. / एफ	शान
मैं प्रमाणित करता / करती हूँ कि मेरी पूर्ण जानकारी एवं विश	वास में उपर्युक्त कथन सही है, द्वारा :
दिनांकः	हस्ताक्षरविभागव
	कर्मचारी संख्या
आश्रित पारिवारिक पेंशनभोर्ग	 ो द्वारा स्वघोषणा पत्र
में एतद् द्वारा यह घोषणा करता / करती हूँ कि अतिरिक्त) और न ही मुझे अभी तक कोई रोजगार मिला है मेरा विवाह नहीं हुआ है। *मेरी आयु 25 वर्ष से ऊपर नहीं रोजगार प्राप्त होता है अथवा / और मेरा विवाह होता है तो सूचना तत्काल पेंशन अनुभाग, भा.प्रौ.सं.(का.हि.वि.) को दूंगा /	मेरी आय का कोई स्रोत नहीं है (इस पेंशन के । मैं यह भी घोषणा करता / करती हूँ कि अभी तक है। यदि मुझे आय का कोई स्रोत प्राप्त होता है , मैं यह उत्तरदायित्व लेता / लेती हूँ कि मैं इसकी
पारिवारिक पेंशनभोगी का हस्ताक्षर/अंगूठा निशान पे.अ.आ.सं.: आई.आई.टी.(बी.एच.यू.)/बी.एच.यू./एफ में प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरी पूर्ण जानकारी एवं विश्व	वास में उपर्युक्त कथन सही है, द्वारा :
दिनांकः	हस्ताक्षर नाम
*केवल पुरुष पारिवारिक पेंशनभोगी हेतु।	नाम विभाग कर्मचारी संख्या

Form No. 15

INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY (BANARAS HINDU UNIVERSITY) VARANASI

LIFE CERTIFICATE

	Pensioner of the Institute once a year in November)
Certified that I have seen the pensioner/fam	nily pensioner Dr./Shri/Smt./Ms
Signature/Thumb impression of pensione Place : Date : Residential Address:	r/family pensioner
Mobile No. (if any):	(Signature & Date with Seal of authorised officer)
E-mail Address (if any):	Name Designation
	TE OF RE-MARRIAGE
any event promptly to the Pension Section of (Applicable only for widow/widower recipion)	re-married and in case if I do, I undertake to report such of the IIT (BHU). ient of family pension and is to be furnished only once in nonths in May and November in case of widower)
Signature/Thumb impression of widow/w PPO No. IIT (BHU)/BHU/F	· ·
I certify to the best of my knowledge	e and belief that the above declaration is correct.
	Witness/Attested by
	Signature Name Deptt Emp. No
SELF DECLARATION OF	DEPENDENT FAMILY PENSIONERS
got any employment. I also declare that I l	no source of income (except this pension) and I have not have not got married. *I have not attained the age of 25 get employed and/or get married, I undertake that I shall ension Section of IIT (BHU).
Signature/Thumb impression of family per PPO No. IIT (BHU)/BHU/F I certify to the best of my knowledge	
	Witness/Attested by
*Applicable only for male recipient of famil	Signature Name Deptt y pension. Emp. No

<u>Instructions regarding submission of Life Certificate</u>

- 1. Every pensioner / family pensioner of the Institute is required to submit life certificate once a year in the month of November for continuation of payment of pension/family pension, failing which, the payment of pension/family pension may be suspended/stopped.
- 2. A pensioner/ family pensioner can report in person with his/her PPO for identification, get his/her life certificate signed by pension disbursing officer of IIT (BHU) and submit it to the Pension Section of IIT (BHU).
- 3. A pensioner/ family pensioner can also appear in person with his/her PPO for identification and get his/her life certificate signed by any person specified hereunder and send it to the Pension Section of the Institute. In such a case, he/she is exempted from personal appearance at Pension Section of the Institute.
 - (i) A person not below the rank of Assistant Professor/Group A officer of IIT (BHU);
- (ii)A person exercising the powers of a Magistrate under the Criminal Procedure code;
 - (iii) A Registrar or Sub-Registrar appointed under Indian Registration Act;
 - (iv) A Gazetted Government servant;
- (v) A Class I officer of the Reserve Bank of India, an officer (including Grade-II officer) of the State Bank of India.
- 4. A Pensioner/Family Pensioner who is residing outside India may produce Life Certificate signed by a Diplomatic Representative of India/ an officer of Public Sector Bank situated in the country of residence which is included in the Second Schedule to the Reserve Bank of India Act, 1934.